दिनांकः 20.04.2019

छात्रावास नियम

प्रवेश नियम

1. पी.ए.टी और एम.डी (आयुर्वेद) प्रवेश परीक्षा के वरीयता और आरक्षण की स्थिति के आधार पर ही छात्रावास में प्रवेश दिया जावेगा।
2. छात्रावास में प्रवेश/पुनः प्रवेश हेतु निम्न श्रेणियो के आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

   a) वे, जो कि संस्थान छात्रावास में पूर्व सत्र में गंभीर दुराचरण या अभद्र व्यवहार के दोषी पाये गए हो।

   b) वे, जो कि जयपुर के प्रवासी हो या जयपुर में उनके अभिभावक/ससुराल पक्ष (विवाहित महिलाओं के मामले में) के नाम से व्यक्तिगत/किराये का मकान हों। छात्रावास में प्रवेश के समय सभी आवेदको को इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (यूजी छात्रावास हेतु जयपुर के बाहर के प्रवासी समस्त छात्र–छात्राओं को कक्ष दिए जाने के पश्चात भी अगर छात्रावास में कक्ष खाली रहते है तो जयपुर जिले के 15 किलोमीटर के बाहर के प्रवासी छात्रों को भी छात्रावास में कक्ष आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।)

   c) वे, जो आपराधिक मामलों म दोषी पाये जा चुके हो अथवा उनके विरुद्ध मामले लम्बित हों अथवा अनुशासनहीनता के दोषी हो अथवा जिनके प्रवेश से छात्रावास की गरिमा व शांति भंग होने की संभावना हो, और छात्रावास में प्रवेश के पश्चात् गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाये गये हो।

   d) वे, जो संक्रामक रोग, रति रोग या छूत की बीमारी से ग्रसित हो। ऐसे संदेहास्पद मामलो में छात्रावास मुख्य अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक को एसे छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

   e) वे, जो पूर्व में उनके छात्रावास में रहने के दौरान छात्रावास से बेदखल किये गये हो।

   f) वे, जो पूर्व में उनके स्वयं के निर्णय के अनुसार छात्रावास का प्रवेश निरस्त किया गया हो।

   g) वे, जो किसी अनाधिकृत व्यक्ति या अतिथि को छात्रावास में विना स्वीकृति के आश्रय प्रदान किये जाने का दोषी हो।

   h) वे, जो रैगिंग के अपराध में लिप्त पाये गये थे।

   i) सी.जी.एन/पी.एच.डी/विमेस्टिक छात्र/छात्राओं को संस्थान परिसर में स्थित छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जावेगा (यू.जी के समस्त छात्र/छात्राओं एवं पी.जी के उक्त वर्गो के अतिरिक्त बचे छात्र/छात्राओं का छात्रावास में प्रवेश देने के पश्चात भी अगर छात्रावास में कक्ष खाली रहते है तो उक्त वर्गो को भी छात्रावास में कक्ष आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है।)

3. छात्र के निम्नप्रकार से दोष पाये जाने पर मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्र का छात्रावास से प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

   a) छात्रावास नियमों के अन्तर्गत ऐसे तथ्य, जिनको बताया जाना आवश्यक हो मगर उक्त तथ्यों को छात्र/छात्राओं द्वारा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया हो या छिपाया गया हों।

   b) छात्रावास नियमों का उल्लंधन सहित समस्त प्रकार के बकाया के भुगतान नहीं करने की स्थिति में।

Scanned by CamScanner

c) छात्रावास के अन्दर या बाहर किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर।

d) छात्रावास कर्मियों / साथियों से अभद्र व्यवहार करना / गाली गलौच करने पर।

e) मुख्य छात्रावास अधीक्षक / छात्रावास अधीक्षक की अनुमति के बिना दूसरे व्यक्ति से उसका कमरे को साझा करने पर।

f) शराब मादक द्रव्यों का सेवन तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने पर।

g) यदि वह ऐसी शारीरिक, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, जिससे दूसरों के संक्रमित होने की सम्भावना हो, उनका छात्रावास से प्रवेश निरस्त किया जावेगा।

h) यदि छात्र दो से अधिक विषयों मे अनुत्तीर्ण रहता है ।

i) यदि छात्र अपने मुख्य बैच के साथ परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है (यदि छात्र को कोई गम्भीर बीमारी या उनके साथ आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है तो छात्र द्वारा प्रस्तुत मेडिकल सर्टिफिकेट अर्थात मेडिकल ग्राउण्ड के आधार पर मुख्य छात्रावास अधीक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है ।)

j) परीक्षा मे शामिल् होने के लिए आवश्यक उपस्थिति कम रहने पर ।

शुल्क सम्बन्धित नियम

1. छात्रावास शुल्क प्रत्येक छः माह के दो भागो में जमा किया जावेगा यथा-(जुलाई और जनवरी के प्रथम सप्ताह म)। अभ्यार्थी बिना विलम्ब शुल्क 7 दिन के भीतर शुल्क जमा करायेगा । यदि अभ्यार्थी उक्त 7 दिन के पश्चात छात्रावास शुल्क नहीं जमा कराता है तो उससे 15 दिन के लिए विलम्ब शुल्क रु. 100/- इसके पश्चात 1 माह तक रु 500/- लिया जावेगा। बिना विलम्ब शुल्क फीस जमा कराने के तिथि के एक माह पश्चात 15 दिन तक दुगना शुल्क लिया जावेगा । उक्त के पश्चात उसका छात्रावास से प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।
2. छात्रावास सुरक्षा राशि निम्न प्रकार से ली जावेगी।
   - नर्सिंग छात्र / छात्रायें – रु 1000/-
   - स्नातक छात्र / छात्रायें – रु 2000/-
   - स्नातकोत्तर छात्र / छात्रायें – रु 5000/-
3. यूजी छात्रावास के इर्न्टनीज छत्रों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त शुल्क रु. 300/-प्रतिमाह लिये जावेंगे ।
4. एक बार जमा छात्रावास शुल्क छात्र द्वारा छात्रावास से स्वंय द्वारा या निकाले जाने पर वापस नहीं देय होगा।

छात्रावास आवासीय नियम

1. आवासी छात्र / छात्रायें उनके कमरे मे उपलब्ध करवाये गये फर्नीचर आदि का उत्तरदायी होगा, फर्नीचर के किसी भी प्रकार की टूट फूट नुकसान अथवा चोरी आदि की सूचना तत्काल मुख्य छात्रावास अधीक्षक / छात्रावास अधीक्षक को लिखित में देनी चाहिये, ताकि इस प्रकार के नुकसान की वसूली छात्रावास सुरक्षा राशि में से की जा सके या उपयुक्त कार्यवाही की जा सके। पाठ्यक्रम समाप्ति पर छात्रावास छोड़ने से पूर्व छात्र / छात्राओं को "बकाया नहीं" का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिये।
2. यदि कोई छात्र किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता / आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त पाया गया तो वह छात्रावास और कक्षाओं से तत्काल निलम्बित कर दिया जावेगा। इस प्रकार की सूचना अनुशासन समिति और साथ-ही-साथ अभिभावकों / संरक्षक को भेज दी जावेगी।
3. यदि कोई आवासीय छात्र / छात्रा शराब पीने / धूम्रपान करने एवं अन्य नशीले पदार्थों(ड्रग्स) के सेवन मे लिप्त पाया गया तो उक्त छात्र / छात्रा मुख्य छात्रावास अधीक्षक / अधीक्षक के द्वारा छात्रावास से तुरन्त प्रभाव से निलम्बन किया जा सकता है तथा इसकी सूचना अभिभावक / संरक्षक को भेज दी जावेगी तथा मामला अनुशासन समिति को भेज दिया जावेगा।

2/4

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

4. रात्री 10.00 बजे पश्चात छात्रावास में बाहर जाने एवं अन्दर आने का समय उपलब्ध पंजिका में दर्ज किया जाना होगा।
5. मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति से ही छात्रावास में अतिथि को अधिकतम तीन दिवस के लिए ही अतिथि कक्ष में अनुमति प्रदान की जावेगी।
6. छात्रावास कक्ष में विपरीत लिंग के अतिथि को प्रवेश की अनुमति नही दी जावेगी।
7. निदेशक/मुख्य छात्रावास अधीक्षक के द्वारा नियुक्त विशिष्ट समिति द्वारा माह में कम से कम एक बार प्रत्येक छात्रावास का अचानक निरीक्षण किया जा सकता है।
8. महिला छात्रावास में रात्री 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि मुख्य छात्रावास अधिक्षक/छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति पर ही की जा सकेगी।
9. छात्र/छात्राओं को उनके आवंटित कक्ष में ही रहना होगा। उचित मामलों में किसी भी प्रकार का अन्तर परिवर्तन मुख्य छात्रावास अधीक्षक/अधीक्षक की लिखित अनुमति से सम्पूर्ण आवास अवधि में एक बार ही किया जा सकता है।
10. छात्रा छात्रावास में रात्री 10.00 बजे पश्चात किसी भी आगन्तुक को मिलने की अनुमति नहीं होगी। (इस हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति वांछित होगी ।)
11. छात्रा छात्रावास स्थित आगन्तुक कक्ष सिर्फ रिश्तेदारों के लिए हैं तथा रजिस्टर में प्रविष्ठी के साथ अधिकतम 1 घन्टे के लिए ठहरने दिया जावेगा।
12. महिला छात्रावास में कॉलेज में कार्यरत एवं छात्रावास के पुरुष कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को आगन्तुक कक्ष से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। (विशेष परिस्थितियों को छोडकर)
13. मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक एवं सक्षम अधिकारी द्वारा छात्रावास का किसी भी समय अचानक निरीक्षण किया जा सकता है।
14. किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र,लाठी आदी छात्रावास में लाना प्रतिबंधित है तथा इस प्रकार के किसी अस्त्र–शस्त्र के पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से कक्ष खाली करवा दिया जावेगा।
15. महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राओं के लिए रात्रि रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिर्वाय होगा जिससे उनकी छात्रावास में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकें।
16. आवासी छात्र/छात्रा हॉस्टल में अपने पत्नी/पति एवं बच्चे के साथ नही ठहर सकते है।
17. विशेष परिस्थितियों में अगर कोई छात्रा, छात्रावास से रात्रि के समय बाहर रहना चाहती है तो इसके लिए उसे उचित कारण (संरक्षक/अभिभावक की अनुमति के साथ) बताकर मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक से लिखित में अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। महिला छात्रावास में रहने वाली छात्राऐ रात्रि में बाहर रुकने अथवा शहर से बाहर जाने की स्थिति में अपने छात्रावास अधीक्षक से लिखित अनुमति प्राप्त करे अन्यथा इसकी सूचना छात्रा के अभिभावक को भिजवा दी जावेगी।
18. मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रत्येक छात्रावास हेतु एक चीफ प्रिफेक्ट का चयन/चुनाव/नामांकन किया जावेगा। जो कि छात्रो/छात्राओं की छात्रावास में हाने वाली दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के विषय में छात्रावास अधीक्षक की सहायता कर सकें।
19. इलैक्ट्रिक संसाधन जैसे हीटर, फ्रिज, माइक्रोवेव, ए.सी आदि का उपयोग हॉस्टल में पूर्णतया प्रतिबंधित हैं।
20. आवासीय छात्र/छात्राऐं उन्हे आवंटित सामान एवं अपने स्वयं के सामान के प्रति स्वयं उत्तरदायी होगे।
21. छात्रावास के कर्मचारी आवासीय छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत किसी भी प्रकार के कार्य नही करेगे।
22. भोजन केवल निर्धारित समय पर भोजन कक्ष में ही वितरित किया जावेगा। छात्रावास कक्ष में किसी भी प्रकार का भोजन नही दिया जावेगा।
23. छात्रावास कक्ष में भोजन करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।

35

संजीव शर्मा

Scanned by CamScanner

24. छात्रावास कक्ष में भोजन पकाना पूर्णतया प्रतिबंधित है।

25. छात्रावास कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर छात्रावास अधीक्षक से लिखित में की जा सकती है।

26. सभी आवासीय छात्र/छात्राऐ, जिनके पास अपने स्वयं के वाहन है वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं इन्श्योरेन्स की कॉपी छात्रावास कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवायेंगे।

27. छात्रावास अधीक्षक के द्वारा चिन्हित जगह पर ही ऐसी वाहन पार्क किया जा सकेगा।

28. वे छात्र, जिनका कोर्स समाप्त हो गया है, उसकी सूची शैक्षणिक शाखा द्वारा छात्रावास अधीक्षक को दे दी जावेगी। उसके आधार पर कोर्स समाप्त होने के तीन दिवस के अन्दर उक्त छात्र को कमरा खाली करना पडेगा। यदि ऐसा नही किया जाता है तो "कोई बकाया नहीं" सर्टिफिकेट दंडित राशि 50/- प्रति दिन के हिसाब से जमा करवाने पर ही दिया जावेगा।

मैस नियम

1. मुख्य छात्रावास अधीक्षक/छात्रावास अधीक्षक द्वारा छात्रावास मैस हेतु एक मैस समिति का गठन किया जावेगा तथा एक मैस मैनेजर भी नियुक्त किया जायेगा।
2. सभी आवासीय छात्र/छात्राओं द्वारा मैस हेतु सुरक्षा राशि रु. 3000/- जमा करवानी अनिवार्य होगी। उक्त राशि छात्र/छात्रा द्वारा मैस सदस्यता से अलग होने की स्थिति मे वापस लौटा दी जावेगी।
3. छात्रावास में निवास करने वाले सभी छात्र/छात्राओं से न्यूनतम 500/- रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से मैस में कार्य करने वाले कुक एवं सरवेंट के लिए सर्विस चार्ज के रूप में ली जावेगी। उक्त राशि उन सभी छात्र/छात्राओं को देनी अनिवार्य होगी जो कि छात्रावास में निवास करते है, चाहे वे मैस के सदस्य हो या ना हो।
4. वे छात्र/छात्रा, जो कि छात्रावास में नही रहते है, वे भी छात्रावास मैस की सदस्यता मैस राशि एवं सर्विसचार्ज दे कर प्राप्त कर सकते है।
5. छात्रावास कक्ष में भोजन पकाना पूर्णतया प्रतिबंधित है ऐसे छात्र जो छात्रावास कक्ष मे भोजन पकाते पाये जाते है उनसे छात्रावास कक्ष तुरन्त प्रभाव से खाली करवा लिया जावेगा।
6. छात्रावास कक्ष में भोजन करना पूर्णतया प्रतिबंधित है।
7. मैस की बकाया राशि निर्धारित तिथी तक जमा नहीं करवाने पर अग्रिम सात दिन तक 100/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ तथा अग्रिम 15 दिन तक 500/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जमा करवानी होगी। तत्पश्चात भी बकाया राशि जमा नहीं करवाने पर मैस सदस्यता से निलम्बित करके बकाया की वसूली कॉशन मनी से काट ली जावेगी।
8. छात्रावास नियमो में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन अथवा नियमों की व्याख्या में संस्थान निदेशक द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा ।
9. छात्रावास नियम सम्बधी नीतिगत अन्तिम निर्णय संस्थान निदेशक का होगा ।
10. मुख्य अधीक्षक छात्रावास द्वारा लिए गए निर्णयो की पुष्टि समय-समय पर संस्थान निदेशक से करवाया जाना आवश्यक होगा ।

संजीव शर्मा

(प्रो. संजीव शर्मा)
निदेशक

Scanned by CamScanner